

ok

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कामेश्वर पासवान, आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर, भागलपुर को अनाधिकृत अनुपस्थिति, अभिलेखों का संघारण नहीं करने एवं बिहपुर एवं खरीक प्रखंड की आपूर्ति व्यवस्था का प्रभार नहीं देने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2 निलंबन अवधि में श्री पासवान का मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर में मुख्यालय रहेगा।

3 निलंबन अवधि में श्री पासवान को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


4 श्री पासवान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का ज्ञाप अलग से निर्गत किया जाएगा।

ह0/-
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 भागलपुर 37/2012 4518 खाद्य, पटना दिनांक- 19/7/2012

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर, अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया/प्रशाखा पदा- 03, श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कामेश्वर पासवान, आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया को आदेश की प्रति श्री पासवान को हस्तगत कराने का निदेश दिया जाता है।


सरकार के संयुक्त सचिव।